निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1944 (श0)
(सं0 पटना 708) पटना, शुक्रवार, 9 सितम्बर, 2022

वित्त विभाग

अधिसूचना
9 सितम्बर, 2022

सं० ब0–14/एफ0आर0बी0एम0 नियमावली-161/2021-622--बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा–12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवृत्त

क. इन नियमों को बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

ख. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

ग. बिहार राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से इसे प्रवृत्त माना जायेगा ।

2. परिभाषाएं:–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

क. "अधिनियम से अभिप्रेत" है बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006;

ख. "वार्षिक वित्तीय विवरण" का अर्थ बिहार बजट हस्तक में परिभाषित वार्षिक वित्तीय विवरण है;

ग. "बजट एक झलक" से अभिप्रेत है बजट एक झलक, जिसमें राज्य की प्राप्ति एवं व्यय की समेकित सूचना तथा संबंधित सूचना शामिल होते हैं, जिसे बजट के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है;

घ. "आकस्मिक दायित्व" से अभिप्रेत राज्य सरकार के वैसे दायित्वों से है, जो राज्य लोक उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों के द्वारा ऋण/उधार लेने से उत्पन्न होता है, जहाँ पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है;

ङ. ऋण भंडार से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कुल बकाया ऋण जोड़ (+) चालू वित्तीय वर्ष में लिया गया उधार/ऋण घटाव (–) चालू वित्तीय वर्ष में चुकता किया गया दायित्व;

च. "प्रारूप" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न प्रारूप;

छ. "स0रा0घ0उ0 (जी.एस.डी.पी.)" से अभिप्रेत है चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद;

ज. "प्राथमिक राजकोषीय घाटा" से अभिप्रेत है, राजकोषीय घाटा घटाव (–) ब्याज भुगतान;

झ. "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस नियमावली में संलग्न अनुसूची;

ञ. "धारा" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा;

ट. कुल राजस्व प्राप्तियों में शामिल है, राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियाँ (कर एवं गैर–कर दोनों) एवं केन्द्र से चालू अंतरण (अनुदान तथा केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्सा को सम्मिलित करते हुए) ।

(2) उन शब्दों एवं पदों (अभिव्यक्तियों) के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में परिभाषित होंगे।

3. वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण

अधिनियम की धारा–6 के अधीन यथा अपेक्षित चालू वर्ष का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही राज्य सरकार प्रारूप–1 में वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण प्रस्तुत करेगी ।

4. मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

(1) राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण प्रारूप–2 में प्रस्तुत करेगी, जिसमें निम्नलिखित राजकोषीय संकेतकों के सम्बन्ध में तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य अंतर्विष्ट होंगे :–

क. राजस्व घाटा;

ख. राजस्व प्राप्ति एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा;

ग. राजकोषीय घाटा;

घ. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा;

ङ. प्राथमिक घाटा;

च. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा/आधिक्य;

छ. ऋण भंडार;

ज. सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण भंडार (दायित्व);

झ. सरकारी प्रतिभूतियाँ;

ञ. राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज का योग।

(2) मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण में राजकोषीय संकेतकों के लिए ऊपर वर्णित लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए पूर्वानुमानों को यथा अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (2) में दर्शित की गई मदों से सम्बन्धित धारणीयता के निर्धारण को भी स्पष्ट किया जाएगा।

5. राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के साथ ही अधिनियम की धारा–8 के प्रावधान के आलोक में राजकोषीय नीति युक्ति विवरण प्रारूप–3 में प्रस्तुत करेगी ।

6. राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन

(1) राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, अधिनियम की धारा–10 के अधीन राजकोषीय पारदर्शिता के लिए यथा अपेक्षित प्रकटन निम्नलिखित विवरणों में करेगी:–

क. प्रारूप–4 (क) में राजकोषीय स्थिति के चयनित संकेतकों का विवरण;

ख. प्रारूप–4 (ख) में राज्य सरकार के दायित्वों के घटकों का विवरण;

ग. प्रारूप–4 (ग) में उधारों की ब्याज लागत/निक्षेपों की गतिशीलता का विवरण;

घ. प्रारूप–4 (घ) में राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों का विवरण;

ङ. प्रारूप–4 (ङ) में आस्तियों एवं दायित्वों का विवरण;

च. प्रारूप–4 (च) में संचित निक्षेप निधि का विवरण;

(2) राज्य सरकार अपने प्रकटन विवरण में लेखांकन मानक, नीति और प्रचलन में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव, जो विहित राजकोषीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करता है या करने वाला है, को दर्शायेगी।

7. अनुपालन प्रवर्तन करवाने के लिए उपाय

(1) अधिनियम की धारा–11 के आलोक में राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवधिक समीक्षा हेतु स्वंतत्र एजेन्सी स्थापित कर सकती है और इस प्रकार के समीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के सदनों में रख सकती है ।

(2) राज्य सरकार इस उद्देश्य हेतु स्थापित एजेन्सी से संबंधित संरचना, निधि का स्रोत, संचालन एवं अन्य संबंधित विषयों को अधिसूचित करेगी ।

8. वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य वित्त के पुनर्गठन के लिए विवरण

(1) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार इसमें समय–समय पर अद्यतन वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य वित्त के पुनर्संरचना हेतु उठाये जाने वाले विस्तृत कदमों को शामिल करेगी ।

(2) राज्य सरकार समय–समय पर उक्त विवरण के लिए प्रारूप विहित करेगी ।

9. आकस्मिक दायित्वों के लिए कार्य–योजना

राज्य सरकार अपने भावी वृहद् उधारों के पुनर्भुगतान एवं पेंशन खाते पर बढते व्यय दायित्वों के लिए राजस्व खाता से एक निश्चित राशि "निक्षेप निधि" और "बीमा" एवं "पेंशन निधि" में अंतरित करेगी। इस तरह से अंतरित निधि, संचित निधि एवं लोक लेखा से बाहर संधारित की जायेगी, ताकि निक्षेप निधि और बीमा एवं पेंशन निधि के काय का उपयोग ऋण के वृहद् पुनर्भुगतान और पेंशन पर बढ़ते व्यय से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों के लिए किया जा सके ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एस0 सिद्धार्थ,
अपर मुख्य सचिव।

अनुसूची
प्रारूप–1
वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण

क. सामान्य

(1) **राज्य अर्थव्यवस्था की रूप–रेखा –** उत्पादन की वृद्धि की दर में रूझानों का विश्लेषण।

(2) **सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि–** सकल राज्य घरेलू उत्पाद–वृद्धि तथा इसकी प्रक्षेत्रीय संरचना में रूझानों का समग्र विश्लेषण;

(3) **राज्य सरकार के वित्त की रूप–रेखा –** राजस्व संग्रहण एवं व्ययों में रूझानों का विश्लेषण और महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों को सम्मिलित करते हुए राज्य वित्त का विकास;

(4) **संभावनायें–** वृद्धि संभावनाओं और राजकोषीय संभावनाओं से संबंधित आकलन करना ।

ख. चयनित राजकोषीय संकेतकों का रूझान

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (बजट अनुमान)	आगामी वर्ष (बजट अनुमान)	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)					
2.	कर राजस्व (2क+2ख)					
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश					
	(ख) राज्य सरकार के कर–राजस्व					
3.	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व					
4.	केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान					
5.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)					
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली					
	लोक ऋण (7+8)					
7.	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण					
8.	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
9.	कुल प्राप्तियाँ (1+5)					
10.	**स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय**					
10.1	राजस्व खाते पर जिसमें					
	(क) ब्याज भुगतान					
	(ख) पेंशन					
	(ग) वेतन					
10.2	पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)					
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण					
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
	(ग) पूंजीगत व्यय					
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ					
11.	**स्कीम व्यय (11.1+11.2)**					
	(क) वार्षिक स्कीम					
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम					
11.1	राजस्व खाते पर					
11.2	पूंजीगत खाते पर					
12.	**कुल व्यय (10+11)**					
13.	**राजस्व व्यय (10.1+11.1)**					
14.	**पूंजीगत व्यय (10.2+11.2)**					
15.	**राजस्व घाटा (13–1)**					
16.	**राजकोषीय घाटा {12–(1+6+10.2(क)+10.2(ख))}**					
17.	**प्राथमिक घाटा {(16–10.1(क)}**					

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (बजट अनुमान)	आगामी वर्ष (बजट अनुमान)	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	जी.एस.डी.पी.					
19.	राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.					
20.	ब्याज भुगतान / कुल राजस्व प्राप्तियाँ					

प्रारूप–2
मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक– चल लक्ष्य

क्र. सं.	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (Y-2) बजट प्राक्कलन	चालू वर्ष (Y-1) पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	आगामी वर्ष (Y) बजट प्राक्कलन	आगामी दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
					वर्ष (Y+1)	वर्ष (Y+2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क.	राजस्व घाटा					
ख.	राजस्व प्राप्ति एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा					
ग.	राजकोषीय घाटा					
घ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा					
ड.	प्राथमिक घाटा					
च.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा / आधिक्य					
छ.	ऋण भंडार					
ज.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण भंडार					
झ.	सरकारी प्रतिभूतियाँ					
ञ.	राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज का योग					

ख. राजकोषीय संकेतकों का निम्न संदर्भों में पूर्वानुमान

(1) राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियाँ

क. कर राजस्व

ख. कर–भिन्न राजस्व

ग. कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा और

घ. कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर–भिन्न राजस्व का हिस्सा;

(2) पूँजीगत प्राप्तियाँ:– ऋण–उगाही तथा ऋणों की वसूली

क. बकाया दायित्वों सहित ऋण भंडार :– लोक ऋण और लोक लेखा के अन्य दायित्व

(3) कुल व्यय:–

क. राजस्व लेखा

(i) ब्याज भुगतान:– (क) वर्ष के दौरान उधारों पर (ख) बकाया दायित्वों पर

(ii) मुख्य सहायिकी

(iii) वेतन

(iv) पेंशन और

(v) अन्य

ख. पूँजीगत लेखा

(i) पूँजीगत उद्व्यय

(ii) लोक ऋण

(iii) ऋण एवं अग्रिम

(4) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

ग. निम्नलिखित के संबंध में धारणीयता का निर्धारण–

(1) **सामान्यतः प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेष रूप से राज्य की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन**— मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण में, चालू वर्ष के लिये कर—जी.एस.डी.पी. अनुपात, राज्य का कर राजस्व—जी.एस.डी.पी. अनुपात, केन्द्रीय कर में राज्य का हिस्सा— जी.एस.डी.पी. अनुपात और पश्चात्वर्ती चार वर्षों के लिए और इसे प्राप्त करने हेतु अपेक्षित परिवर्तनों का आकलन होगा । इसमें वेतन, पेंशन, सहायिकी और ब्याज के भुगतान पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने वाली नीतियों की चर्चा हो सकेगी । उधारों और अन्य दायित्वों को सम्मिलित करते हुए पूँजीगत प्राप्तियों का निर्धारण, घोषित नीतियों के अनुसार किया जायेगा। इस विवरण में जी.एस.डी.पी. का प्रायोजन किया जा सकता है तथा धारणीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रेखांकित संकेतकों के पूर्वानुमान के आधार पर इसकी चर्चा की जा सकती है।

(2) **बाजार ऋण सहित पूँजीगत प्राप्तियों का उत्पादक आस्तियों के सृजन हेतु उपयोग**— मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण में उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए पूँजीगत प्राप्तियों के प्रस्तावित उपयोग को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें इन प्रवर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों को भी बताया जा सकेगा और सरकार की व्यापक नीति के शर्तों के अनुरूप इन पर चर्चा की जा सकेगी ।

(3) **आगामी दस वर्षों के लिए वार्षिक पेंशन दायित्व का प्राक्कलन**— मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण में विकास दर के रूख के आधार पर पूर्वानुमान करते हुए पेंशन दायित्वों का प्राक्कलन किया जा सकेगा ।

प्रारूप—3

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(क) **राजकोषीय नीति अवलोकन** : यह वर्तमान में प्रचलित राजकोषीय नीति का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

(ख) **आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय नीति** : यह कर एवं कर—भिन्न नीति, व्यय नीति; उधारों और आकस्मिक दायित्वों की बावत कार्यवाही करने से संबंधित है।

(ग) **आगामी वर्ष के लिए कार्यनीति की प्राथमिकता** : इसमें संसाधनों का संघटन, व्यय प्रबंधन में अन्तर्निहित व्यापक सिद्धांतों एवं लोकऋण के प्रबंधन से संबंधित प्राथमिकताओं का वर्णन है ।

(घ) **नीति परिवर्त्तन के लिए युक्तियुक्तता** : यह सहायकी तथा पेंशन पर व्यय, लोकऋण के प्रबंधन और लोक उपयोगिता के प्रभारों को सम्मिलित करते हुए बजट में दिये गये व्ययों के बारे में मुख्य नीति में परिवर्तन के संबंध में है ।

(ड़) **नीति मूल्यांकन** : इसमें राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों और मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण में दिये गये राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में चालू राजकोषीय नीति का निर्धारण सम्मिलित है ।

प्रारुप—4

राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन

क. राजकोषीय स्थिति का चयनित संकेतक (राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	वास्तविकी			बजट अनुमान	लक्ष्य		
		3 वर्ष पूर्व	2 वर्ष पूर्व	1 वर्ष पूर्व	चालू वर्ष	आगामी 1 वर्ष	आगामी 2 वर्ष	आगामी 3 वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद							
2.	राजस्व बचत							
3.	राजकोषीय घाटा							
4.	वर्ष के अन्त में लोक ऋण अधिशेष							
5.	कर राजस्व							
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत							
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा							
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व							
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण							

ख. राज्य सरकार के दायित्व के घटकों का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	प्रवर्ग	पूर्ववर्त्ती वर्ष 1 अप्रैल को शेष राशि	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्ति			वित्तीय वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष पुनरीक्षित	आगामी वर्ष (बजट अनुमान)	पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष पुनरीक्षित	आगामी वर्ष (बजट अनुमान)	पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष पुनरीक्षित	आगामी वर्ष (बजट अनुमान)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार										
(ii)	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ										
(iii)	वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण इत्यादि										
(iv)	बन्ध पत्र										
(v)	अन्य ऋण										
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण										
	कुल आन्तरिक ऋण										
2.	केन्द्र से ऋण										
	कुल लोक ऋण										
3.	लोक लेखा (अन्य दायित्व)										
योग											

ग. ऋण/जमा संग्रहण पर ब्याज मूल्य का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं	कोटि	वित्तीय वर्ष अंतर्गत उगाही		बकाया राशि (31 मार्च तक)	
		पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (पुनरीक्षित अनुमान)	पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (पुनरीक्षित अनुमान)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बाजार से उधार एवं अन्य प्रतिभूतियाँ				
2.	केन्द्र से ऋण				
3.	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ				
4.	वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण				
5.	रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण				
6.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि				
7.	आरक्षित निधि				
8.	जमा				

घ. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)

प्रक्षेत्र (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अंदर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष के आरंभ में बकाया		वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष के दौरान विलोपन (मांग को छोड़कर)	वर्ष के दौरान लागू		वर्ष के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
	मूल धन	ब्याज	मूल धन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूल धन	ब्याज	प्राप्ति योग्य	प्राप्त	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)

ङ दायित्वों एवं आस्तियों का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)

31.3.20-- की स्थिति	दायित्व एवं आस्तियाँ	31.3.20-- की स्थिति
	दायित्व	
	आंतरिक ऋण	
	ब्याज सहित बाजार ऋण	
	ब्याज रहित बाजार ऋण	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	
	अन्य संस्थानों से ऋण	
	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	
	वर्ष 1984-85 के पूर्व का ऋण	
	स्थापना एवं प्रतिबद्ध ऋण	
	राज्य स्कीम के लिए ऋण	
	केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए ऋण	
	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए ऋण	
	स्कीम के लिए अर्थोपाय अग्रिम	
	राज्य के अन्य ऋण	
	आकस्मिकता निधि	
	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	
	जमा	
	आरक्षित निधि	
	अंतर्राज्यीय समायोजन	
	सरकारी लेखा में आधिक्य	
	घटायें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	
	वर्ष के आरंभ में संचित अधिशेष	
	कुल	
	आस्तियाँ	
	स्थायी आस्तियों पर सकल पूँजीगत व्यय	
	कंपनी एवं निगमों आदि के शेयरों में निवेश	
	अन्य पूँजीगत व्यय	
	ऋण एवं अग्रिम	
	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	
	अन्य विकास ऋण	
	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	
	प्रेषण	
	अग्रिम	
	उचंत एवं विविध शेष	
	नकद	
	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	
	रिजर्व बैंक में जमा	
	विभागीय नकद अवशेष	

31.3.20-- की स्थिति	दायित्व एवं आस्तियाँ	31.3.20-- की स्थिति
	दायित्व	
	स्थायी अग्रिम	
	चिह्नित निधि सहित नकद अवशेष निवेश	
	कुल	

च. समेकित निक्षेप निधि विवरण (राशि करोड़ रुपये में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में बकाया	पूर्व वर्ष में बढोतरी	पूर्व वर्ष में प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में / चालू वर्ष के आरंभ में बकाया	चालू वर्ष में एस.एल.आर. उधारों का भंडार (प्रतिशत)	चालू वर्ष में बढोतरी	चालू वर्ष में प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में / आगामी वर्ष के आरंभ में बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का भंडार (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

9 सितम्बर, 2022

सं० ब014 / एफ0आर0बी0एम0 नियमावली–161 / 2021–622, दिनांक– 9 सितम्बर, 2022 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एस0 सिद्धार्थ,
अपर मुख्य सचिव।

9th September, 2022

No.-B-14/FRBM Niyamawali-161/2021-623--In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) and (2) of Section 12 of Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006, the Government of Bihar is hereby pleased to make the following rules :-

Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2022

1. Short Title, Extent and Commencement

(a) These rules may be called the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2022.

(b) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(c) They shall come into force on the date of their publication in the Bihar Gazette.

2. Definitions

(1) In these rules. unless the context otherwise requires: -

(a) "Act" means the Bihar Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2006;

(b) "Annual Financial Statement" means Annual Financial Statement as defined in Budget Manual;

(c) "Budget at a glance" means the Budget at a glance containing consolidated information on state's receipt and expenditure and other related information as placed before the Legislature along with the Budget;

(d) "Contingent Liabilities" means such liabilities of State Government that may arise out of the borrowings by Public Sector Undertakings and other Institutions where liability for repayment is on the State Government;

(e) "Debt stock" means the total debt outstanding at the beginning of the financial year plus the gross borrowing during the year minus the liabilities discharged during the year;

(f) "Form" means a form appended to these rules;

(g) "GSDP" means the Gross State Domestic Product at Current Prices;

(h) "Primary deficit" means fiscal deficit minus interest payments;

(i) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(j) "Section" means a section of the Act;

(k) "Total Revenue Receipts (TRR)" includes State's own revenue receipts (both tax and non-tax) and current transfers from the Centre (comprising grants and State's share of Central taxes)

(2)The words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. Macro-economic Framework Statement

The State Government shall furnish a Macroeconomic Framework Statement in **Form-I** as required under Section 6 of the Act.

4. Medium-Term Fiscal Policy Statement

(1) The State Government Shall, while presenting the Annual Financial Statement, furnish a Medium Term Fiscal Policy Statement, as required under sub-section (1) of Section 7, shall be in **Form-II** which shall include three year rolling targets in respect of the following fiscal indicators:

(a) Revenue deficit

(b) Revenue deficit as a percentage of Revenue Receipt and Gross State Domestic Product

(c) Fiscal deficit

(d) Fiscal deficit as a percentage of Gross State Domestic Product

(e) Primary deficit

(f) Primary deficit/ surplus as a percentage of Gross State Domestic Product

(g) Debt Stock

(h) Total debt stock as a percentage of Gross State Domestic Product

(i) Government Guarantees

(j) Salary plus Pension plus Interest as a per centum of Revenue Receipt

(2) The Medium Term Fiscal Policy Statement shall also explain the assumptions underlying the above mentioned targets for fiscal indicators and an assessment of sustainability relating to the items indicated in sub-section (2) of section 7 of the Act.

5. Fiscal Policy Strategy Statement

The State Government shall, while presenting the Annual Financial Statement, furnish a Fiscal Policy Strategy Statement in **Form-III** as specified in Section 8 of the Act.

6. Disclosures for Fiscal Transparency

(1) The State Government shall, while presenting the Annual Financial Statement, make disclosures for fiscal transparency in the following parameters in the prescribed format under section 10 of the Act. :-

(a) a statement of select indicators of fiscal situation in **Form- IV (A)**;

(b) a statement on components of State Government liabilities in **Form- IV (B)**;

(c) a statement on interest cost of borrowings/mobilisation of deposits in **Form -IV (C)**;

(d) a statement on guarantees given by the Government in **Form- IV (D)**;

(e) a statement on assets and liabilities in **Form- IV (E)**; and

(f) a statement on the Consolidated Sinking Fund in **Form- IV (F)**.

(2) The State Government shall indicate in their disclosures any significant changes in the accounting standards, policies and practices affecting or likely to affect the computation of prescribed fiscal indicators.

7. Measures to enforce compliances

(1) The State Government under section 11 of the Act, may set up an agency independent of the State Government to review periodically the compliance of the provisions of this Act and table such reviews in the Houses of the State Legislature.

(2) The State Government shall notify the structure, sources of funds, operations and other associated matters related to the agency being setup for this purpose.

8. Statement for restructuring of State Finances based on recommendation of Finance Commission

(1) The State Government shall, while presenting the Fiscal Policy Strategy, include therein details of the steps taken for restructuring the State Finances as recommended by the latest Finance Commission from time to time.

(2) The State Government shall prescribe the format for the Statements from time to time.

9. Action Plan for Contingent liabilities

The state government shall transfer a certain amount from revenue account to a “Sinking Fund”, and the "Insurance and Pension Fund" to meet huge future repayment of borrowings and rising expenditure liabilities on account of pension etc. The fund so transferred shall be maintained outside the Consolidated Fund of the State and Public Account so that the corpus of the Sinking Fund and the Insurance and Pension Fund can be utilized to meet the future contingent liabilities on account of huge repayment of loans, rising expenditure on pension.

By order of the Governor of Bihar.
S. Siddharth,
Additional Chief Secretary.

Schedules

Form I - Macro-economic Framework Statement

A. General

1) **Overview of the State Economy:** An analysis of trend in the rate of growth of output.
2) **GSDP Growth**: An analysis of trends in overall GSDP growth and its sectoral composition
3) **Overview of State Government Finances**: The developments in State Finances including an analysis of trends in revenue collections and expenditure, and the important fiscal indicators
4) **Prospects:** An assessment shall be made regarding the growth prospects and fiscal prospects

B. Trends in Select Fiscal Indicators

Sl.No.	Fiscal Indicators	Previous Year 2020-21 (Actual)	Current Year 2021-22 (B.E.)	Ensuing Year 2022-23 (B.E.)	% change in Current Year over Previous Year	% change in Ensuing Year over Current Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Total Revenue Receipts (2+3+4)**					
2	**Tax Revenue (2.1+2.2)**					
2.1	*State Share in Central Taxes*					
2.2	*State Tax*					
3	*Non-Tax Revenue*					
4	**Grant-in-aid received from Central Govt.**					
5	**Capital Receipts (6+7+8)**					
6	**Recovery of loans and advances**					
	Public Debt (7+8)					
7	**Internal Debt of State Govt.**					
8	**Loan and Advance from Central Govt.**					
9	**Total Receipts (1+5)**					
10	***Establishment & Committed Expenditure***					
10.1	***On Revenue Account, in which***					
	(A) Interest payments					
	(B) Pension					
	(C) Salary					
10.2	***On Capital Account (A+B+C+D)***					
	(A) Internal Debt of State					
	(B) Loan and Advance from Central Govt.					
	(C) Capital Expenditure					
	(D) Loan and Advances					
11	***Scheme Expenditure (11.1+11.2)***					
	(A) Annual Scheme					
	(B) Central Sector Scheme					
11.1	***On Revenue Account***					
11.2	***On Capital Account***					

Sl.No.	Fiscal Indicators	Previous Year 2020-21 (Actual)	Current Year 2021-22 (B.E.)	Ensuing Year 2022-23 (B.E.)	% change in Current Year over Previous Year	% change in Ensuing Year over Current Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	*Total Expenditure (10+11)*					
13	*Revenue Expenditure (10.1+11.1)*					
14	*Capital Expenditure (10.2+11.2)*					
15	Revenue Deficit (13-1)					
16	Fiscal Deficit {12-(1+6+10.2(A)+10.2(B))}					
17	Primary Deficit {16-10.1(A)}					
18	G.S.D.P.					
19	Fiscal Deficit/G.S.D.P.					
20	Interest Payment/Total Revenue Receipts					

Form II - Medium-Term Fiscal Policy Statement

A. Fiscal Indicators - Rolling Targets

Sl. No.	Fiscal Indicator	Previous Year (Y-2) Budget Estimates	Current Year (Y-1) Revised Estimates (RE)	Ensuing Year (Y); Budget Estimates (BE)	Targets for next two Years	
					Y+1	Y+2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a	Revenue deficit					
b	Revenue deficit as a percentage of Revenue Receipt and Gross State Domestic Product					
c	Fiscal deficit					
d	Fiscal deficit as a percentage of Gross State Domestic Product					
e	Primary deficit					
f	Primary deficit/ surplus as a percentage of Gross State Domestic Product					
g	Debt Stock					
h	Total debt stock as a percentage of Gross State Domestic Product					
i	Government Guarantees					
j	Salary + Pension + Interest, as a percentage of Revenue Receipt					

B. Assumptions underlying the Fiscal Indicators

(1) State own revenue receipts :-

a) Tax-revenue,

b) Non-tax revenue,

c) Share of State's own tax revenue to total revenue receipts, and

d) Share of State's non-tax revenue to total revenue receipts.

(2) Capital receipts :- Borrowing and recovery from Loans and Advances.

a) **Debt Stock includes outstanding liabilities**:– Public Debt and Other Liabilities in Public Account.

(3) Total expenditure:

a) **Revenue account**: (i) Interest payments:– (a) on borrowings during the year; (b) on outstanding liabilities; (ii) Major subsidies; (iii) Salaries; (iv) Pensions; and (v) Others.

b) **Capital account:** (i) Capital Outlay, (ii) Public Debt, (iii) Loans and advances

(4) GSDP Growth

C. Assessment of sustainability relating to:

1. **The balance between receipts and expenditure in general and State revenue receipts and revenue expenditure in particular:-** The Medium Term Fiscal Policy Statement shall specify the tax-GSDP ratio, own tax-GSDP ratio and State's share in Central tax – GSDP ratio for the current year and subsequent four years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss policies to contain expenditure on salaries, pension, subsidies and interest payments. An assessment of the capital receipts shall be made, including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for GSDP and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators in achieving the sustainability objective.
2. **The use of capital receipts including market borrowings for generating productive asset**s-: The Medium Term Fiscal Policy Statement may specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets. It may also spell out the proposed changes among these categories and discuss them in terms of the overall policy of the Government.
3. **The estimated yearly pension liabilities for the next ten years-:** The Medium Term Fiscal Policy Statement may estimate the pension liabilities by making forecasts on the basis of trend growth rates

Form III - Fiscal Policy Strategy Statement

A. Fiscal Policy Overview presenting an overview of the fiscal policy currently in vogue.

B. Fiscal policy for the ensuing year dealing with tax and non-tax policy, expenditure policy, borrowings and contingent liabilities.

C. Strategic priorities for the ensuing year describing resource mobilization, board principles underlying the expenditure management, priorities relating to management of public debt.

D. Rationale for Policy changes with regards to major policy changes in respect of budgeted expenditure, including expenditure on subsidies and pensions, management of the public debt and the charges for public utilities.

E. Policy Evaluation presenting an assessment of the current fiscal policy in relation to the fiscal management principles and the fiscal targets set out in the Medium-Term Fiscal Policy Statement.

Form IV – Disclosures for fiscal transparency

A. Select Indicators of fiscal situation

(Rs. in Crore.)

Sl. No.	Item	Actuals			Current Year (BE)	Target		
		Past 3 Year	Past 2 Year	Past 1 Year		Next 1 Year	Next 2 Year	Next 3 Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Gross State Domestic Product							
2.	Revenue surplus							
3.	Fiscal Deficit							
4.	Public Debt Balance at the End of the Year							
5.	Tax Revenue							
6.	Revenue Surplus as percentage of GSDP							
7.	Fiscal Deficit as percentage of GSDP							
8.	Tax Revenue as percentage of GSDP							
9.	Public Debt as percentage of GSDP							

B. Statement on components of State Government liabilities

Rs. in Crore

Sl. No	Category	Balance Amount on 1st April of Previous Year	Raised or to be raised during the Fiscal Year			Repayment/Redemption during the Fiscal Year			Outstanding Amount (as on 31st March)		
			Previous Year (Actual)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)	Previous Year (Actual)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)	Previous Year (Actual)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Internal Debt										
i.	Market Borrowing										
ii.	Special Securities issued to the NSSF										
iii.	Borrowings from Financial Institutions/ Banks										
iv.	Bond										
v.	Other Loans										
vi.	WMA/OD from RBI										
	Total Internal Debts										

Rs. in Crore

Sl. No	Category	Balance Amount on 1st April of Previous Year	Raised or to be raised during the Fiscal Year			Repayment/Redemption during the Fiscal Year			Outstanding Amount (as on 31st March)		
			Previous Year (Actual)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)	Previous Year (Actual)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)	Previous Year (Actual)	Current Year (RE)	Ensuing Year (BE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Loans from Centre										
	Total Public Debt										
3.	Public Account (Other Liabilities)										
	Total										

C. Statement on interest cost of borrowings/mobilisation of deposits

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Category	Raised during the fiscal year		Outstanding amount (End of 31st March)	
		Previous year (Actuals)	Current year (RE)	Previous year (Actuals)	Current year (RE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Market Borrowings and Other Bonds				
2.	Loans from Center				
3.	Special Securities issued to the NSSF				
4.	Borrowings from Financial Institutions/ Banks				
5.	WMA/OD from RBI				
6.	Small Savings Provident Funds etc.				
7.	Reserve Funds				
8.	Deposits				
	Total				

D. Statement on guarantees given by the Government

(Rs. in Crore)

Sector (No. of Guarantees within bracket)	Maximum Amount Guaranteed		Outstanding at the beginning of the year		Additions during the year	Deletions (other than invoked) during the year	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year		Guarantees Commission or Fee		Other Material Details
	Principal	Interest	Principal	Interest			Discharged	Not Discharged	Principal	Interest	Receivable	Received	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)

E. Statement on assets and liabilities (Rs. in Crore)

As on 31/03/20XX	Liabilities		As on 31/03/20XX
	Internal Debt		
	Market Loans bearing interest		
	Market Loans not bearing interest		
	Loans from Life Insurance Corporation of India		
	Loans from other institutions		
	Loans and Advances from Central Government		
	Pre 1984-85 Loans		
	Establishment and committed Loans		
	Loans for State Schemes		
	Loans for Central Sector Schemes		
	Loans for Centrally Sponsored Schemes		
	Ways and Means Advances for Schemes		
	Other Loans for States		
	Contingency Fund		
	Small Savings, Provident Funds etc.		
	Deposits		
	Reserve Funds		
	Inter State Settlement		
	Surplus on Government Account		
	a) Less revenue surplus of the current year		
	b) Accumulated Surplus at the beginning of the year		
	Total		

As on 31/03/20XX	Assets		As on 31/03/20XX
	Gross Capital Expenditure on Fixed Assets		
	Investment in shares of companies, corporations etc.		
	Other Capital Expenditure		
	Loans and Advances		
	Loans for power projects		
	Other Development Loans		
	Loans to Government Servants and Miscellaneous Loans		
	Remittances		
	Advances		
	Suspense and Miscellaneous Balances		
	Cash		
	Cash in Treasuries and Local Remittances		
	Deposit with Reserve Bank		
	Departmental Cash Balance		
	Permanent Advances		
	Cash balance investments including earmarked funds		
	Total		

F. Statement on the Consolidated Sinking Fund

(Rs. in Crores)

Outstanding at the beginning of previous year	Additions during previous year	Withdrawals during previous year	Outstanding at the end of previous year/beginning of current year	Outstanding as *percentage* of Stock of SLR Borrowings (%)	Additions during current year	Withdrawals during current year	Outstanding at the end of current year/beginning of ensuring year	Outstanding as *percentage* of Stock of SLR Borrowings (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 708-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in